



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा।

Tel/ Fax No 01382-228467 & Mob No- 8882083206

E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com



पत्रांक:- 2325/ 1-13, दिनांक, कोटद्वारा, 18-12-2021.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय :- स्थानान्तरण/तैनाती आदेश के क्रम में मुख्यालय में सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2146/X-1-2021-14(22) टी0सी0-1 दिनांक 17-12-2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 2146/X-1-2021-14(22) टी0सी0-1 दिनांक 17-12-2021 द्वारा अधोहस्ताक्षरी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा के पदभार से अवमुक्त करते हुए अग्रिम आदेशों तक प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में सम्बद्ध किया गया है, उत्तराखण्ड शासन के उक्त आदेश में अधोहस्ताक्षरी को अपने कार्यभार से सम्बद्ध करने न तो कोई कारण उल्लेखीय किया गया है और न ही नियमानुसार कोई जॉच की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी से सम्बन्धित उक्त आदेश समाचार पत्रों में अवैध खबर का कारण बताया गया है एवं उसमें मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जॉच कराये जाने की बात की गयी है। उक्त के क्रम में आपके संज्ञान में लाना है कि :-

मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा आपने पत्रांक-1186/21-5 दिनांक 07-12-2021 से यह उल्लेख किया गया था कि..... वन प्रभाग के क्षेत्रीय नियंत्रण में शिलिंगता बरती जा रही है व लापरवाही की जा रही है, जो वन सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदाचित मान्य नहीं है, को उल्लेख करते हुए चार बिन्दुओं पर सूचना/आख्या 07 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी से चाही गयी। इस क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-2215/21-5 दिनांक 11-12-2021 से स्पष्ट बिन्दुवार आख्या तैयार करते मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी को सम्बोधित एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को पृष्ठांकित करते हुये उनके कार्यालय के ई-मेल एवं डाक से प्रेषित की गयी है (संलग्नक-1)। तदोपरान्त इस सम्बन्ध में उच्च स्तर से अन्य कोई पत्राचार नहीं किया गया और न ही कोई जॉच की गयी। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी का नियंत्रक अधिकारी, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक-1371/21-5 दिनांक 25-11-2021 से अवैध खबर सम्बन्धित विस्तृत जॉच रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रस्तुत की गयी। उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जॉच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत के इस प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकाशित नहीं हुआ है, जिससे प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार की अवैध खबर में मिलीभगत या नियंत्रण में शिलिंगता परिलक्षित होती हो। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अवैध खबर को नियंत्रित करने का प्रभावी प्रयास किया गया है।.....आख्या के आधार पर शिकायत का निस्तारण करने की कृपा करें। अतः समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार में उल्लेखीय कारण तथ्य से परे एवं राजनीतिक दबाव से ग्रहसित है।

महादेय, लैन्सडौन वन प्रभाग अतिसंवेदनशील वन प्रभाग है एवं वर्तमान में मा० वन एवं पर्यावरण मंत्री का विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आता है। इस तरीके के राजनीतिक मौहाल में प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के पद पर अत्यन्त ही राजनीतिक दबाव, धमकियां एवं निराधार आरोपों का सामना करना पड़ता है। एकतरफ इस वन प्रभाग में क्षेत्रीय स्टॉफ की अत्यंत कमी एवं राजनीतिक रूप से जुड़े होने के कारण प्रभावी नियंत्रण किया जाना चुनौती पूर्ण रहा है। वर्तमान में वन आरक्षियों के 88 पदों के सापेक्ष 13 वन आरक्षी ही कार्यरत है, जो 15 प्रतिशत से भी अधिक है। इसके बावजूद अधोहस्ताक्षरी द्वारा हर सम्भव प्रयास किया गया कि किसी तरीके का अनौतिक, गैर कानूनी एवं अवैध कार्य न हो। जहां तक अवैध खबर की प्रश्न है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा एस0ओ0जी0 की मदद से (जो कि प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्यक्ष नियंत्रण में है) प्रभावी कार्यवाही की गयी। विगत 3 माह में 55 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 03 डम्पर, 02 जे०सी०बी० एवं 01 पॉकलैण्ड अवैध खबर में संलिप्त वाहनों को जब्त किया गया है। प्रभाग अन्तर्गत सिमित संसाधन एवं व्यून फील्ड स्टॉफ होने के बावजूद भी इस प्रकार की कार्यवाही/प्रयास किया गया है। अतः स्थानान्तरण/तैनाती आदेश के क्रम में मुख्यालय में सम्बद्ध किये जाने की यह कार्यवाही तथ्य से परे एवं राजनीतिक प्रतीत होता है। इस आदेश से एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित सम्बन्धित

—8—

समाचार से अधोहस्ताक्षरी के मनोबल पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है, इससे छवि भी धूमिल हुई है एवं अधोहस्ताक्षरी हतोत्साहित हुआ है।

महोदय, इस आदेश की पृष्ठ भूमि में जो कारण अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है, वह निम्नवत् है:-

- 1- अधोहस्ताक्षरी द्वारा विगत 14 माह (अधोहस्ताक्षरी का इस वन प्रभाग में कार्यकाल) में राजनीतिक दबाव के बावजूद नियमानुसार कार्य किया गया, जो कि सम्भवतः राजनीतिक प्रतिनिधियों को परव्व ना आया हो।
- 2- अधोहस्ताक्षरी द्वारा लालंग-पिल्लरगाल वन मोटर में हो रहे अवियाप्तिता को संज्ञाव में लेते हुए कार्य को रुकवा देना एवं सम्बन्धित वन आरक्षी एवं वन दरोगा को मुख्यालय में अटें कर देना एवं रेज अधिकार अनियमितता पर स्पष्टीकरण माँगना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर सम्बन्धित रेज के कार्यभार से पृथक कर देना आदि कदम उठाये गये, इसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को धमकी दिया गया एवं तत्काल प्रभाव से सम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही की गयी।
- 3- कैम्पा योजना के अन्तर्गत रीवर रेजुवेशन से सम्बन्धित धनराशि रु0 251.31 लाख की धनराशि जो वर्तमान में वन जमा/निक्षेप व्यय (डी0सी0एल0) में जमा है, को भुगतान हेतु राजनीतिक दबाव बनाये जाने उपरान्त भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यय नहीं किया जाना।
- 4- राजनीतिक लोगों द्वारा अवैध खनन के प्रयासों को विफल करना एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त करने उपरान्त तुरन्त ही छोड़ने हेतु दबाव में न आना।
- 5- मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी के आदेशों के कम में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन द्वारा सनेह पार्क एवं कॉर्बिट रिसेप्शन सेन्टर के समीप बैम्बों हट एवं पार्क में नियमा विरुद्ध हो रहे कार्यों को राजनीतिक दबाव के बावजूद रुकवा देना व सम्बन्धित के खिलाफ एच0-2 केस दर्ज करना।
- 6- कुछ खास व्यक्तियों के उपनल के माध्यम से प्रभाग में सम्मिलित करने हेतु राजनीतिक दबाव बनाया जाना। अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमों को ध्यान में रखते हुए उपनल में समाहित न किया जाना।

उपरोक्त कारणों का उल्लेख प्रमुख अखबारों एवं व्यूज पोर्टल पर भी प्रकाशित किया गया है

(संलग्नक-2)

उपरोक्त के कम में अवगत करना है कि इस वन प्रभाग में पिछले पाँच वर्ष में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है एवं पिछले पाँच वर्ष में 05 प्रभागीय वनाधिकारियों की स्थानान्तरण/तैनाती की गयी एवं प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारियों को अत्यन्त ही राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा है। अधोहस्ताक्षरी को भी इसी कम में निराधार एवं तथ्य विहीन भूमिका बनाते हुए मुख्यालय सम्बद्ध करने का आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। यहां तक की शासनादेश के अल्प अवधि बाद ही चार्ज हस्तान्तरण करने की धमकी एवं जार्च हस्तान्तरण न करने पर एकतरफा चार्ज हस्तान्तरण करने का प्रयास किया गया है। इन समस्त प्रकरणों से अधोहस्ताक्षरी को आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ा है एवं इस तरीके की कार्यवाही व्यायोचित नहीं है, इससे न केवल अधोहस्ताक्षरी का मनोबल टूटा है, बल्कि एक नव नियुक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी की छवि धूमिल हुई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के कम में अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी के इस सम्बद्ध के प्रकरण को सक्षम स्तर पर रखेंगे एवं इस आदेश को विरस्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि भविष्य में नव नियुक्त अधिकारियों को हथोसाहित न हो। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रकरण की भविष्य में पुर्णराखिल न हो इस हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(दीपक सिंह) भा०७०८०
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक- 2325 , 1-13 , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को संज्ञानार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उचित माध्यम।
- 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 4- वन संरक्षक, शिवालिक वृत, उत्तराखण्ड, देहरादून।


(दीपक सिंह) भा०७०८०
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।